संख्या– 1734 / IV(2)-श0वि0–2016–25(सा0) / 14

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2– समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उत्तराखण्ड।

3– समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका / नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक : 28 सितम्बर, 2016**

विषय : उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन तथा उससे सम्बंधित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन तथा उससे सम्बंधित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016 को अधिसूचना संख्या 1738 / IV(2)–श0वि0–16–25(सा0) / 14 दिनांक 30.09.2016 के द्वारा प्रख्यापित किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– / IV(2)-श0वि0–2016–25(सा0) / 14,तददिनांकित।

प्रतिलिपि निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्या–1738/IV(2)–श0वि0–2016–25(सा0)/2014
देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगरीय मलिन बस्ती विनियमितीकरण, सुधार व पुनर्विकास, पुनर्वासन/पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम, 2016 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन, भू–स्वामित्व, आधारभूत सुविधाओं के विकास,अधिवासियों के जीवन स्तर में सुधार, नये अध्यासन पर प्रभावी रोक, मलिन बस्ती मुक्त नगर की स्थापना, आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत सुरक्षा उपाय तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों के विकास एवं अतिक्रमण निषेध करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थातः–

उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन तथा उससे सम्बंधित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) इस नियमावलीं का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन तथा उससे सम्बंधित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016 है।

(2) इसका विस्तार उत्तराखण्ड राज्य की सभी नागर निकायों में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2 इन नियमों में किसी अन्य बात के होते हुए भी–

(क) ''मलिन बस्ती'' से अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित बस्ती अभिप्रेत है;

(ख) ''जिलाधिकारी'' से संबधित जिले का जिलाधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) ''परिवार'' से पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र, पुत्री तथा उन पर आश्रित माता–पिता अभिप्रेत है;

(घ) ''अधिनियिम'' से उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है;

(ड.) ''अभ्यर्थी'' से ऐसे मलिन बस्ती अधिवासी परिवार अभिप्रेत है, जिसे विनियमितिकरण अथवा पुनर्वास/पुर्नव्यवस्थापन तथा

अन्य व्यवस्थाओं हेतु चिन्हित किया गया हो;

(च) "विनियमितीकरण" से श्रेणी एक में अधिवासित मलिन बस्ती अध्यासी को स्व–स्थान पर प्रदत्त भू–स्वामित्व अधिकार अभिप्रेत है;

(छ) "पुनर्वास/पुर्नव्यवस्थापन" से श्रेणी तीन में अधिवासित परिवारों को वैकल्पिक सुरक्षित स्थान पर आवास एवं अन्य आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना अभिप्रेत है;

(ज) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये है।

मलिन बस्ती क्षेत्रों का चिन्हांकन तथा मलिन बस्तिवासियों का पंजीकरण हेतु समिति का गठन

3 (1) मलिन बस्ती के मानकों को पूर्ण करने वाले क्षेत्रों के चिन्हांकन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्न सदस्य होंगे, अर्थात–

(क)संबंधित जिले का वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, – सदस्य

(ख) संबंधित जिले का अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व / प्रशासन, – सदस्य

(ग) संबंधित जिले के मुख्यालय का अधिशासी अभियंता, सिंचाई व बाढ नियंत्रण खण्ड, – सदस्य

(घ) संबंधित जिले के मुख्यालय का अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग – सदस्य

(ड.) संबंधित जिले के मुख्यालय में अवस्थित नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र/सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण – सदस्य

(च) संबंधित जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी – सदस्य

(छ) संबधित जिले में अवस्थित समस्त नागर निकायों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी (मुख्यालय का नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा) – सदस्य

टिप्पणी– जिलाधिकारी द्वारा समिति में अन्य संगत विभागों के प्रतिनिधियों को आवश्यकतानुसार नामित किया जा सकेगा।

(2) नागर निकायों द्वारा **भू–स्वामित्व** पर ध्यान न देते हुए चिन्हित मलिन बस्ती क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को सूचीबद्ध कर उन्हें पंजीकरण व पहचान पत्र जारी किये जायेंगे।

(3) समिति द्वारा नियमावलीं लागू होने के 30 दिन के अंदर समस्त मलिन बस्तियों क्षेत्रों का चिन्हांकन तथा उनमें निवासरत परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया जायेगा।

समिति के कृत्य 4 नियम 3 में संदर्भित समिति के निम्नलिखि कृत्य होंगे, अर्थात–

(क) समस्त नागर निकायों में अवस्थित अधिनियम की धारा 4 में यथानिर्दिष्ट 11 मार्च 2016 की तारीख तक नागर निकायों में मलिन बस्तियों के रूप में चिन्हित क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के पंजीकरण, निवास के प्रमाणिक प्रमाण (यथा– बिजली/पानी/टेलिफोन बिल, वोटर आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट अथवा अन्य प्रमाणिक अभिलेख में से कोई एक) के आधार पर ऐसे भू–स्वामित्व प्रदान किया जाना जिस हेतु राज्य सरकार समय–समय पर आदेश द्वारा नियत करे।

(ख) मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण, सुधार व पुनर्विकास तथा जहाँ आवश्यक हों, मलिन बस्तीवासियों का पुनर्वासन/पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्राप्त संस्तुतियों पर निर्णय लिया जाना।

(ग) मलिन बस्तीवासियों को विधिक भूस्वामित्व अधिकार का निर्णय लिया जाना।

(घ) मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्राप्त संस्तुतियों पर निर्णय लिया जाना। ।

(ड.) नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों में निवासरत परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्राप्त संस्तुतियों पर निर्णय लिया जाना।

(च) नयी मलिन बस्तियों के प्रसार तथा अधिसूचित मलिन बस्तियों में नए अध्यासन पर प्रभावी रोक के लिए आवश्यक निर्देश दिया जाना।

(छ) मलिन बस्ती मुक्त नगर की स्थापना के लिए आवश्यक निर्देश

दिया जाना।

(ज) मलिन बस्तियों में आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सुरक्षा उपाय तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों के विकास के लिए आवश्यक निर्देश दिया जाना।

(झ) नगर निकायों मे चिन्हित मलिन बस्तियों का विभिन्न श्रेणियों में बर्गीकरण किया जाना।

समिति की बैठक आदि की प्रकिया **5**

(1) नियम 3 में संदर्भित समिति की प्रत्येक माह में अनिवार्य रूप से दो बैठकें आयोजित की जायेंगी।

(2) बैठक का समय और स्थान अध्यक्ष द्वारा नियत किया जायेगा। बैठक की सूचना, एजेण्डा तथा अन्य आवश्यक विवरण यथासमय सदस्य–सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) बैठक में प्रत्येक मामले का निस्तारण बहुमत से किया जायेगा।

(4) बैठक के कार्यवृत्त का अभिप्रमाणन तथा अन्य समस्त कार्यवाहियां सदस्य–सचिव द्वारा सम्पादित की जायेगी।

मलिन बस्तियों का वर्गीकरण **6**

(1) नागर निकायों में चिन्हित समस्त मलिन बस्तियों को नियम 3 द्वारा गठित समिति द्वारा निम्नवत श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकेगा, अर्थात–

(क) "श्रेणी एक" में ऐसी बस्तियॉ वर्गीकृत की जा सकेंगी जिसमें आवास निवास योग्य हों तथा भू–स्वामित्व अधिकार निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान किया जा सकना यथाविधि सम्भव हो,

(ख)"श्रेणी दो" में भूगर्भीय/भौगोलिक/पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में अवस्थित अधिवासों के ऐसे भूभागों को वर्गीकृत किया जा सकेगा जिन्में कतिपय सुरक्षात्मक उपायों द्वारा निवास योग्य बनाया जा सकना सम्भव हो तथा उन पर भू–स्वामित्व अधिकार यथाविधि प्रदान किया जाना सम्भव हो;

(ग) "श्रेणी तीन" में ऐसी भूमि पर अवस्थित अधिवासों को वर्गीकृत किया जा सकेगा जहॉ भू–स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाना विधिक/व्यवहारिक, मानव निवास, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त न हों, अर्थात–

(एक) भूगर्भीय/भौगोलिक/पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में अवस्थित बसावट के ऐसे भूभागों, जहॉ सुरक्षात्मक उपायों की संभावना नगण्य होने के कारण उन्हें निवास योग्य नहीं बनाया जा सकता हों;

(दो) प्राकृतिक रूप से असुरक्षित ऐसे समस्त स्थल, जो कि लोकहित में निवासियों के जीवन या स्वास्थ्य या सुरक्षा की दृष्टिकोण से खतरनाक हो, राज्य द्वारा अपेक्षित स्थल अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक हो, इत्यादि;

(तीन) किसी सार्वजनिक प्रयोजन में प्रयोग की जा रही या प्रयोजनार्थ आरक्षित सरकारी भूमि इत्यादि;

(चार) रक्षा विभाग से सम्बन्धित भूमि;

(पॉच) विवादित भूमि, जिस पर किसी विधि के न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लम्बित हो;

(छः) ऐतिहासिक संरक्षण के अधीन भूमि, जिसे पुरातत्व विभाग द्वारा प्रतिबन्धित घोषित किया गया हो;

(सात) राज्य सार्वजनिक उपयोगार्थ रक्षित भूमि;

(आठ) तलपट के अन्तर्गत खुला क्षेत्र, पार्क, हरित क्षेत्र, स्कूल, चिकित्सा केन्द्र और क्रीडा केन्द्र इत्यादि से सम्बन्धित भूमि;

(नौ) सरकार द्वारा कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए आरक्षित भूमि;

(दस) अन्य ऐसी कोई भूमि जो राज्य सरकार द्वारा निवास के अयोग्य घोषित की गई हों।

(2) नागर निकायों द्वारा चिन्हित तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णित मलिन बस्तियों को वर्गीकृत करने के पश्चात राज्य सरकार को दो माह के भीतर राजपत्र में अधिसूचित किए जाने हेतु संदर्भित किया जाएगा।

अधिसूचना को प्रत्याहरण करना

7 नागर निकायों में अधिसूचित सभी मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण, सुधार व पुनर्विकास तथा पुनर्वासन/पुनर्व्यस्थापन तथा अन्य व्यवस्थाएं सम्पादित हो जाने के पश्चात् जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा नियत करे, जिला स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्य द्वारा प्रत्याहरित की जो सकेगी।

मलिन बस्ती अधिवासियों को भू–स्वामित्व अधिकार

8 (1) जिला स्तरीय समिति द्वारा सभी श्रेणियों के परिवारों को **भू–स्वामित्व** का अधिकार पहचान–पत्र के आधार यथाविधि प्रदान किया जा सकेगा। **भू–स्वामित्व** का अधिकार परिवार के मुखिया, यदि स्त्री मुखिया हो तो स्त्री के नाम से अथवा परिवार के मुखिया व उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से दिए जायेंगे।

(2) राज्य सरकार के स्वामित्व वाली अधिकतम 50 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल पर निर्मित भवन का भू–स्वामित्व राज्य गठन की तारीख अर्थात 9 नवम्बर 2000 के प्रचलित सर्किल रेट के 20 प्रतिशत धनराशि भुगतान करने पर प्रदान किया जा सकेगा।

(3) 50 वर्ग मीटर से अधिक तथा 100 वर्ग मी0 से अनधिक के क्षेत्रफल पर निर्मित भवन का भू–स्वामित्व 9 नवम्बर 2000 के प्रचलित सर्किल रेट पर प्रदान किया जा सकेगा।

(4) 100 वर्ग मी0 से अधिक तथा 250 वर्ग मी0 से अनधिक के क्षेत्रफल पर निर्मित भवन का भूस्वामित्व वर्तमान प्रचलित सर्किल रेट के 50 प्रतिशत पर प्रदान किया जा सकेगा।

(5) अभ्यर्थी द्वारा भुगतान तीन समान किस्तो में दो–दो माह के अंतराल पर छः माह के भीतर अथवा एकमुश्त जमा किये जाने का विकल्प होगा।

(6) अभ्यर्थी द्वारा यदि अपनी आजीविका के प्रयोजनार्थ अपने आवास के कतिपय भाग को व्यवसायिक गतिविधियो, यथा– दुकान आदि हेतु उपयोगित किया जा रहा हो तो–

(एक) 10 वर्ग मी0 तक के व्यवसायिक भाग को 9 नवम्बर 2000 के प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर विनियमित किया जा सकेगा;

(दो) 10 वर्ग मी0 से अधिक परन्तु 100 वर्ग मी0 से अनधिक व्यवसायिक भाग का विनियमितीकरण 9 नवम्बर 2000 के प्रचलित सर्किल रेट के दुगुने पर प्रदान किया जा सकेगा।

(7) राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि के 100 वर्ग मी0 से अनधिक क्षेत्रफल में अवस्थित पूर्णतः व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विनियमितीकरण वर्तमान प्रचलित सर्किल रेट पर प्रदान किया जा सकेगा।

(8) नजूल भूमि पर अवस्थित आबादी यदि मलिन बस्ती की श्रेणी में चिन्हित होती है तो उस दषा में विनियमितीकरण की दरे इस नियमावली में प्रस्तावित दरों के आधार पर लागू होंगी।

(9) विनियमितिकरण के पश्चात् मलिन बस्तियॉ प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्रों की परिधि में स्वतः निहित हो जायेंगी। राज्य सरकार भवन ले–आउट प्लान उपविधि के मानकों में यथावश्यतानुसार शिथिलिकरण प्रदान कर सकेगी।

(10) श्रेणी एक एवं श्रेणीं दो के पात्र परिवारों को भू–स्वामित्व अधिकार नियमावलीं गठन के छः माह के भीतर प्रदान किये जा सकेंगे। आवासीय इकाई विहीन खाली भू–खण्डों पर भू–स्वामित्व अधिकार नहीं किया जा सकेगा। ऐसे खाली भू–खण्डों को राज्य सरकार अपने अधिकार मे लेकर उन पर सामुदायिक परिसंपत्ति, यूथा–सामुदायिक भवन, आजीविका केन्द्र, स्थानीय हाट, बाल–पार्क आदि का निर्माण कर सकेगी अथवा आवास बैंक हेतु सुरक्षित किया जा सकेगा। लाभार्थी द्वारा भू–स्वामित्व हेतु निर्धारित मूल्य एवं भू–राजस्व शुल्क भू–स्वामित्व आवंटन की तारीख से छः माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा विहित किस्तों पर भुगतानित करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगीं।

(11) श्रेणी तीन की मलिन बस्ती में कब्जे वाले परिवारों को स्व–स्थल पर कोई भू–स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं कि या जा सकेगा, किन्तु लोक हित में प्रभावित समुदाय से परामर्शोपरान्त उन्हें मूलभूत अवस्थापना वाले वैकल्पिक स्थलों में पहचान पत्र के आधार पर भू–स्वामित्व अधिकारों के साथ पुनर्वासित/पुनर्व्यस्थापित किया जा सकेगा। ऐसे परिवारों से भूमि एवं भवन की धनराशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर ली जायेगी।

(12) सम्पूर्ण राज्य में एक परिवार को एक ही स्थान पर भू–स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जा सकेगा। परिवार को यह शपथ–पत्र देना होगा कि उसका संबधित नगर निकाय क्षेत्र, जहाँ कि मलिन बस्ती मे वह विनियमितीकरण हेतु चिन्हित है, में भूमि अथवा भवन का स्वामित्व नहीं हैं।

(13) विनियमितीकरण के उपरांत लाभार्थी अपने आवास को 10 वर्ष की अवधि तक सिवाय विरासत के अन्य किसी भी प्रकार से क्रय, उपहार, गिरवी द्वारा अंतरित करने हेतु प्राधिकृत नहीं होगा।

(14) मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण एवं भू–स्वामित्व प्रदान करने का पूर्ण अधिकार संबंधित जिले के जिलाधिकारी में निहित होगा। आवश्यकतानुसार संबंधित जिले के जिलाधिकारी अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन अपर जिलाधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी को कर सकेंगे।

(15) विनियमितीकरण के उपरान्त मलिन बस्ती परिवारों द्वारा राज्य सरकार और नागर निकाय को संदेय सम्पत्ति कर तथा अन्य प्रचलित करों का भुगतान यथाविधि करना होगा।

मलिन बस्ती विनियमितीकरण, सुधार व पुनर्विकास तथा मलिन बस्तीवासियों का पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन

9 (1)श्रेणी एक तथा श्रेणीं दो की मलिन बस्तियां निम्नलिखित विकल्पों के साथ स्थाई उन्नयन के लिए पात्र होंगी, अर्थात :–

(एक) **भू–स्वामित्व** अधिकारों के साथ स्व–स्थल पर अधिकांश बस्ती का विनियमितीकरण, सुधार एवं पुनर्विकास किया जा सकेगा;

(दो) बहुमंजिला भवनों में स्व–स्थल पर परिवारों का व्यवस्थिकरण, इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त भूमि का उपयोग, खुले स्थान, सुविधाओं एवं अवस्थापना विकास हेतु उपलब्ध कराया जा सकेगा;

(तीन) बहुमंजिला भवन योजना द्वारा प्राप्त अतिरिक्त भूमि में अतिरिक्त आवासीय सुविधाएं भी विकसित की जा सकेगीं। ऐसी भूमि बैंक उन लोगों के लिये उपलब्ध कराया जा सकेगा जो श्रेणी– तीन से संबधित बस्ती में निवासरत हैं;

(2) नियम 11 के अधीन श्रेणीं–तीन मलिन बस्ती में रहने वाले सभी परिवार निम्नलिखित विकल्पों के माध्यम से भूस्वामित्व अधिकारों के साथ पुनर्वासित/पुनर्व्यस्थापित किये जा सकेंगे:–

(एक) उपयुक्त/उपलब्ध सरकारी भूमि पर नियोजित रीति से;

(दो) ऊर्ध्व विकास द्वारा वर्तमान मलिन बस्ती में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर निर्मित बहुमजिला भवनों में;

(तीन) पुनर्वासन/पुनर्व्यस्थापन के आशय से अधिग्रहीत भूमि पर नियोजित तरीके से।

(3) नागर स्तरीय महायोजना अंतर्गत समस्त अधिसूचित मलिन बस्तियों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं /मूलभूत

सेवाओं यथा– पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, स्वच्छता, विद्युत, स्वास्थ्य, सडक इत्यादि के प्रावधान किये जायेगें। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन की दृष्टि से आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।

(4) राज्य सरकार अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराते हुए एक मलिन बस्ती कार्पस फंड की स्थापना करेगी। स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अपने वार्षिक बजट का शासन द्वारा निर्धारित अंश मलिन बस्ती कार्पस फंड में उपलब्ध करायेंगे। कार्पस फंड की धनराशि का उपयोग मलिन बस्ती सुधार, पुनर्विकास/उन्नयन एवं पुनर्वासन/पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ किया जायेगा। नागर निकायों द्वारा क्षमतानुसार आवश्यक भूमि आवास बैंक विकसित किये जाने हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र के द्वारा भी आवश्कतानुसार श्रेणीं तीन के अध्यासियों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित मानकों के अधीन आवासीय भवन उपलब्ध कराने की कार्यवाहीं ऐसे की जायेगी जैसा राज्य सरकार समय–समय पर आदेश द्वारा नियत करे।

पुनर्वास /पुनर्व्यस्थापन के उपबंध

10 (1) पुनर्वास/पुनर्व्यस्थापन स्थल की दूरी को यथासंभव न्यूनतम रखा जायेगा जिससे आजीविका पर अनावश्यक प्रभाव न पड़े।

(2) प्रभावित लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए राज्य अथवा संबधित रेखीय विभाग द्वारा पुनर्वास/पुनर्व्यस्थापन स्थलों हेतु विशेष आजीविका परक कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे।

(3) प्राथमिक हितभागियों, विशेषकर महिलाओं की नियोजन व निर्णय लेने में भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

(4) महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं तथा बाध्यताओं को विशेष महिला विकास कार्यक्रमों द्वारा संबोधित किया जायेगा।

(5) श्रेणीं तीन के अध्यासियों को नियमानुसार भूमि/भवन आबंटन की स्थिति में पूर्व अध्यासित भूमि/भवन/स्थल को खाली करने को बाध्य होगा। अन्यथा की स्थिति में जबरन खाली कराने की कार्यवाहीं की जायेगी।

आवासीय इकाई निर्माण, सुधार/ उन्नयन

11 विनियमितीकरण उपरांत आवासीय इकाई निर्माण, सुधार/उन्नयन हेतु मलिन बस्तीवासियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुश्रवण

12 (1) उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध और अन्य व्यवस्थाओं की प्रगति के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्न सदस्य होंगे, अर्थात–

(एक)सचिव /प्रमुख सचिव नागर विकास, उत्तराखण्ड शासन– संयोजक सदस्य

(दो)सचिव/प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

(तीन)सचिव/प्रमुख सचिव आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

(चार)सचिव/प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

(पांच)सचिव/प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

(छः)सचिव/प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य

(सात) आयुक्त (कूमाऊँ/गढवाल) – सदस्य

(आठ) मुख्य सचिव द्वारा नामित अन्य अधिकारीगण – सदस्य

(2) राज्य स्तरीय समिति की प्रत्येक माह में अनिवार्य रूप से एक बैठक आयोजित की जायेंगी।

(3) बैठक का समय और स्थान अध्यक्ष द्वारा नियत किया जायेगा। बैठक की सूचना, एजेण्डा तथा अन्य आवश्यक विवरण यथासमय संयोजक सदस्य द्वारा समस्त सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) बैठक में प्रत्येक मामले का निस्तारण बहुमत से किया जायेगा।

(5) बैठक के कार्यवृत्त का अभिप्रमाणन तथा अन्य समस्त कार्यवाहियां संयोजक सदस्य द्वारा सम्पादित की जायेगी।

अपील **13** इस नियमावलीं के अधीन कृत कार्यवाही एवं निर्णयों के विरूद्ध प्रभावित पक्ष द्वारा एक माह की समयावधि में अपील निकाय से संबधित मण्डल के मण्डलायुक्त के समक्ष की जा सकेगी।

निषेध तथा दण्डात्मक प्रकिया **14** राज्य सरकार की भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के पश्चात किया जाने वाला कोई भी कब्जा दण्डनीय अपराध होगा। जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी तथा संबधित विभाग, जिनकी भूमि पर पर उपरोक्तानुसार कब्जा किया जाता है अथवा प्रयास किया जाता है, के सक्षम प्राधिकारी ऐसे कदम उठाने के लिये सक्षम होंगे, जो राज्य सरकार की भूमि पर कब्जे तथा अधिसूचित मलिन बस्तियो मे नये कब्जे रोकने हेतु आवश्यक हो। ऐसे कब्जेधारक/अध्यासी अथवा नई मलिन बस्ती बसाने मे प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग करने वाले के विरूद्ध अधिनियम की धारा 5 मे प्रावधानित दण्ड हेतु जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी तथा संबधित विभाग सक्षम न्यायालय मे वाद योजित कर सकेगें।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गार्ब्याल)
सचिव।

सं0 1738 /IV(2)–श0वि0–2016–25(सा0)14 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को अपने असाधारण गजट के अग्रिम अंक में विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित कर गजट की 100–100 प्रतियां निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, माता मंदिर रोड़, धर्मपुर, देहरादून तथा शहरी विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
अनु सचिव।

सं0 1738 /IV(2)–श0वि0–2016–25(सा0)14 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4– सचिव, श्री राज्यपाल को श्री राज्यपाल महोदय के संज्ञानार्थ।
5– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
10– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, उत्तराखण्ड।
11– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाईट पर भी प्रकाशित करने का कष्ट करें।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
अनु सचिव।